न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री संजयकुमार, आर.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या — 5 / 2018

अपीलांट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1.छोगला पुत्र खंगारा 2.कपीया पुत्र खंगारा, जातियान् मेघवंशी, निवासीगण सिवणा, तहसील व जिला जालोर		1.मगना पुत्र खंगारा, जाति मेघवंशी,निवासी सिवणा, तहसील व जिला जालोर 2.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जालोर

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध आदेश तहसीलदार जालोर दिनांक 12.11.2010(नामान्तरकरण सं. 449)

उपस्थिति :–
1.श्री नरपतसिंह देवडा,अभिभाषक,अपीलांट्स की ओर से।
2.श्री छोटूसिंह,सरकारी अभिभाषक,रेस्पोडेन्ट सं.2 की ओर से।
3.रेस्पोडेन्ट सं.1 अनुपस्थित।

निर्णय — दिनांक 6.9.2018

1. अपीलांट्स के अनुसार अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट सं.1 की संयुक्त शामलाती खातेदारी भूमि मौजा सिवणा,तहसील जालोर में खसरा नम्बर 7 रकबा 1.0900हेक्टर,273 रकबा 0.7000 हेक्टर, 644 रकबा 1.6400 हेक्टर, 1071 रकबा 0.5700हेक्टर,1072 रकबा 0.3300 हेक्टर,1073 रकबा 0.0300 हेक्टर, 1074 रकबा 0.0500 हेक्टर कुल खसरा नम्बर 7 कुल रकबा 4.41 हेक्टर की आई हुई है तथा बंटवाडे से एक ओर खसरा नम्बर 2255 / 644 रकबा 0.1200 हेक्टर का किया गया है जो प्रशासन गांवो के संग अभियान में किया गया है जो गलत है क्योंकि अपीलांट अनपढ है तथा अपीलांट्स ने अपने नॉलेज में किसी बंटवाडे पर अंगुष्ठ निशान या हस्ताक्षर नही किये है। उक्त बंटवाडा रेस्पोडेन्ट सं.1 व 2 ने गलत तरीके से अपनी मनमर्जी से कर नामान्तरकरण खोला गया है। मौके पर मौका रिपोर्ट तैयार नही की और न ही प्रस्तावित बंटवाडा का भौतिक कब्जे का सत्यापन करवाया तथा सारी कार्यवाही फर्जी तरीके से कैम्प में ही की गई जो कतई स्वीकार नही है। अपीलांट्स के पक्ष में जो जमीन दर्शाई गई है वो उबड–खाबड है , कम उपजाउ है जिससे अपीलांट्स के हितो पर कुठाराघात

हुआ है इसलिए उक्त बंटवाडा गलत व आधारहीन होने से काबिल खारिज है। प्रशासन गांवो के संग अभियान में दिनांक 12.11.2010 में उक्त बंटवाड किया तथा उक्त नामान्तरकरण पारित किया उसकी जानकारी अपीलांट्स को रेस्पोडेन्ट सं.1 से 20–25 दिन पूर्व हुई जब रेस्पोडेन्ट सं.1 ने अपीलांट्स को कहा कि बंटवाडा आदेश व तरमीम के अनुसार अपनी–अपनी जमीन पर काबिज हो जाओ, तब अपीलांट्स ने हल्का पटवारी से उक्त बंटवाडे के बारे मे जानकारी लेकर दिनांक 19.12.2017 को जालोर आकर उक्त म्युटेशन की नकल मांगी जो दिनांक 20.12.2017को प्राप्त हुई तथा म्युटेशन में दर्शित तहसीलदार जालोर के आदेश क्रमांक 158–159 दिनांक 12.11.2010 की नकल मांगी तो पता चला कि उक्त आदेश पारित ही नही हुआ है। डेट ऑफ नॉलेज से अपील अन्दर म्याद है। अतः अपीलांट्स की अपील स्वीकार कर तहसीलदार जालोर का आदेश दिनांक 12.11.2010 (नामान्तरकरण सं. 449) निरस्त करावे व विवादित आराजी के रेकर्ड की स्थिति म्युटेशन के पूर्व के अनुसार बहाल किये जाने के आदेश करावे। अपीलांट्स ने अपील के साथ शपथपत्र व धारा 5लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र तथा फहरिस्त के साथ म्युटेशन आदि की प्रति पेश की ,इस पर अपील दर्ज कर रेस्पोडेन्ट्स को सम्मन जारी किया व रैकार्ड तलब किया गया।

2. अपीलांट्स के धारा 5लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थनापत्र का रेस्पोडेन्ट सं.2 की ओर से कोई जवाब पेश नही किया गया है, अतः अपीलांट्स की अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है।

3. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलांट्स के अभिभाषक ने अपने अपील प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराया व बताया कि अपीलांट्स अनपढ है तथा अपीलांट्स ने किसी बंटवाडे पर अंगुठा या हस्ताक्षर नही किया गया है। बंटवाडा मौके की स्थिति के अनुसार नही किया हुआ व झूठी कागजी कार्यवाही हुई है। अपीलांट्स के पक्ष में जो जमीन दर्शाई गई है वो उबड खाबड है व कम उपजाउ है तथा रेस्पोडेन्ट्स की जमीन समतल व उपजाउ है। अपीलांट्स ने रेस्पोडेन्ट सं.1 को 20–25 दिन पूर्व ही कहा कि बंटवाडा व तरमीम के अनुसार अपनी अपील जमीन पर काबिज हो जाओ तब अपीलांट्स को पता चला व दिनांक 19.12.17 को जालोर आकर म्युटेशन की नकल मांगी जो दिनांक 20..12.17 को प्राप्त हुई। तहसीलदार जालोर से आदेश क्रमांक/158–159 दिनांक 12.11.2010 की नकल मांगी तो पता चला कि उक्त आदेश पारित ही नही हुआ है तथा तहसील कार्यालय के राजस्व शाखा के रेकर्ड के अनुसार दिनांक 12.11.2010 को उक्त बंटवाडा नही होना पाया गया,

जिसकी नकल दिनंक 22.12.17को प्राप्त हुई। इस प्रकार जानकारी की तिथि से अपील अन्दर म्याद है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर मौजा सिवणा का नामान्तरकरण सं.449 दिनांक 12.11..2010 को निरस्त करावे व विवादित आराजी की स्थिति म्युटेशन के पूर्व के अनुसार बहाल करने के आदेश प्रदान करावे। इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट सं.2 की ओर से सरकारी वकील ने बताया कि तहसीलदार जालोर द्वारा म्युटेशन सही पारित किया गया है। अतः अपीलांट्स की अपील खारिज करावे।

4. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया व रैकार्ड का अवलोकन किया गया। मौजा सिवणा के नामान्तरकरण 449 अनुसार उक्त नामान्तरकरण पटवारी सिवणा द्वारा तहसीलदार जालोर के आदेश कमांक 158/159 दिनांक 12.11.2010 की पालना में प्रशासन गांवो के संग अभियान में आपसी सहमति से बंटवाडा स्वीकृत होने से खोला गया है। अधिनस्थ न्यायालय से रैकार्ड तलब करने पर केवल मूल नामान्तरकरण सं. 449 ही प्राप्त हुआ, आदेश कमांक158/159 दिनांक 12.11.10 प्राप्त नही हुआ। अतः इस न्यायालय के पत्र कमांक कोर्ट/809दिनांक 3.8.2018 से पुनः तहसीलदार जालोर से उक्त आदेश तलब किया गया जिस पर तहसीलदार जालोर के पत्र कमांक/ राजस्व/ 2018/1720 दिनांक 16.8.2018 से बताया कि रैकर्ड के अनुसार उक्त बंटवाडा आदेश जारी होना नही पाया गया है जिससे उक्त बंटवाडा आदेश भिजवाया जाना संभव नही है जो मानने योग्य नही है। अगर उक्त बंटवाडा आदेश कमांक 158—159 दिनांक 12.11.2010 जारी होना ही नही पाया जाता है तो बिना आधार के पटवारी हल्का सिवणा द्वारा उक्त आदेश की पालना में म्युटेशन खोलना,भू अभिलेख निरीक्षक बागरा द्वारा जांच करना व तहसीलदार जालोर द्वारा स्वीकृत करना बताया जाना गलत है। अतः आदेश कमांक 158—159 दिनांक 12.11.2010 बाबत् जांच की जाकर पक्षकारान् को वांछित अनुतोष प्रदान किया जाना न्यायोचित है। अतः अपीलांट्स की अपील रिमाण्ड योग्य है।

आदेश

अपीलांट्स द्वारा तहसीलदार जालोर के आदेश कमांक 158—159 दिनांक 12.11.2010 (नामान्तरकरण सं. 449)के विरूद्ध प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार जालोर का आदेश दिनांक 12.11.2010(ना.क.सं. 449) निरस्त किया जाता है व प्रकरण तहसीलदार जालोर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि आदेश कमांक/158—159 दिनांक 12.11. 2010 उपलब्ध करवाया जाकर उसके आधार पर नामान्तरकरण सं. 449 में

किये गये इन्द्राज की जांच करे। यदि कही त्रुटिपूर्ण/गलत इन्द्राज करना पाया जाता हैं तो पक्षकारान् को सुनवाई का समुचित अवसर देकर नियमानुसार विधिक प्रावधानों के अनुरूप आदेश पारित करे। पत्रावली फैसल सुदा मानी जाकर,नम्बर से कम होकर,बाद तकमील तरतीब के बाजाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

S.d.
(संजयकुमार)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

निर्णय,आज दिनांक 6.9.2018 को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

S.d.
(संजयकुमार)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर